न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 132/2025 (GCMS : 2025/144)

गुरदेव सिंह बनाम साधु सिंह वगै.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री अरविन्द सिंह अराड़ा को बार-बार आवाज़ लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी गुरदेव सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह जाति बावरी निवासी खरलां तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर ने यह मुंतकिली प्रार्थना जरिये अधिवक्ता पेश कर, उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन धारा 188 आरटीए का प्रकरण संख्या 31/17 अनवानी साधु सिंह बनाम गुरदेव सिंह आदि को अन्य न्यायालय में मुंतकिली करवाने हेतु प्रस्तुत किया था।

प्रार्थी के अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए प्रार्थी का यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज करने योग्य प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 132/2025 (GCMS : 2025/ 144)

गुरदेव सिंह बनाम साधु सिंह वगै.

06.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री अरविन्द्र सिंह अरोडा को बार–बार आवाज़ लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी गुरदेव सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह जाति बावरी निवासी खरलां तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर ने यह मुंतकिली प्रार्थना जरिये अधिवक्ता पेश कर, उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन धारा 188 आरटीए का प्रकरण संख्या 31/17 अनवानी साधु सिंह बनाम गुरदेव सिंह आदि को अन्य न्यायालय में मुंतकिली करवाने हेतु प्रस्तुत किया था।

प्रार्थी के अधिवक्ता को बार–बार आवाज लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए प्रार्थी का यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज करने योग्य प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:51 IST
Reason: SelfAttested